Dt. 16/05/2025

प्रेषक:
राजीव रंजन
कैपेटाउन सोसाइटी, सेक्टर 74
नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301

प्रति,
निवाचन अधिकारी /
जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी
गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश

विषय: कैपेटाउन सोसाइटी, सेक्टर 74, नोएडा में अपंजीकृत मालिकों के मतदान अधिकारों से संबंधित कार्रवाई हेतु निवेदन

महोदय,

हम, कैपेटाउन सोसाइटी, सेक्टर 74, नोएडा के निवासी, आगामी अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (AOA) चुनावों में अपंजीकृत (Non-Registered) फ्लैट मालिकों के मतदान अधिकारों से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।

दिनांक 24.04.2025 को उप-पंजीयक, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स कार्यालय द्वारा नोएडा प्राधिकरण को एक पत्र भेजा गया था (जिसकी प्रति संलग्न है), जिसमें यह जानकारी मांगी गई थी कि क्या अपंजीकृत फ्लैट मालिकों को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने और मतदान का अधिकार दिया जा सकता है। इस पत्र को नोएडा प्राधिकरण द्वारा विधिक राय हेतु अपने विधि विभाग को अग्रेषित किया गया था।

प्राप्त विधिक परामर्श में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ऐसे मामलों में कार्यवाही का अधिकार केवल उप-पंजीयक कार्यालय या पंजीयक द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी को ही है। अतः, इस कानूनी परामर्श के आलोक में, हम निवेदन करते हैं कि इस विषय पर आवश्यक निर्णय एवं कार्रवाई आपके स्तर से की जाए।

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए, उन वास्तविक मालिकों/वैध अधिवासियों को मतदान का अधिकार प्रदान करने हेतु दिशा-

16/5/25

निर्देश जारी करें, जिनका फ्लैट रजिस्ट्रेशन अभी प्रक्रियाधीन है, ताकि वे भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में समान रूप से भाग ले सकें।

हम, कैपेटाउन निवासी, नोएडा प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र की प्रति एवं संबद्ध निवासियों के हस्ताक्षरों सहित एक ज्ञापन आपके कार्यालय में प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि इस विषय पर उचित एवं विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

आपसे निवेदन है कि कृपया इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर संज्ञान में लेते हुए निष्पक्ष एवं समावेशी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्णय लें।

आपके सहयोग एवं सकारात्मक कार्रवाई के लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

सादर,

(राजीव रंजन)
कैपेटाउन निवासियों की ओर से
कैपेटाउन सोसाइटी, सेक्टर 74
नोएडा – 201301